कार्यालय वन वृत्त शहडोल–484001 (मध्यप्रदेश)

PHONE - 245361 FAX - 240189 E_MAIL- ccf.sdl@mp.gov.in

क्रमांक/माचि /2018/2025 शहडोल, दिनांक 17/03/18

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
वनमंडल उमरिया.

विषय – दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत जिला उमरिया (म0प्र0) के अविद्युतीकरण ग्राम सांस से चिनकी के विद्युतीकरण हेतु 11 के0व्ही0 विद्युत लाईन में प्रस्तावित वनभूमि कुल रकबा 1.098 हे0 का व्यपवर्तन बावत।

संदर्भ – इस कार्यालय का पत्र क्र/माचि/716 दिनांक 24.01.2018.

–☆☆☆–

प्रकरण में आपको कार्यालय के संदर्भ पत्र दिनांक 24.01.2018 से सशर्त सैद्धांतिक अनुमति हेतु सहमति जारी की गई है। उपरोक्त प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा कोई वृक्ष कटाई नहीं की जावेगी तथा इनसूलेटेड तारों का प्रयोग किया जावेगा।

उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कमियों की पूर्ति कराते हुये तत्काल इस कार्यालय के संदर्भ पत्र के निर्देशानुसार स्वीकृति जारी की जावे।

(ए0के0 जोशी)
मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म0प्र0)

पृ0क्रमांक/माचि /2018/ 2026 शहडोल, दिनांक 17/03/18

प्रतिलिपिः–

कार्यपालन यंत्री, डीआरसी, पूर्वी क्षेत्र, MPEB शहडोल को सूचनार्थ। कृपया नोडल अधिकारी को प्रमाण में पूर्ति हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।

मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म0प्र0)

भाग–III

संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है

14	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हॉं/नहीं) यदि हॉं तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	–

तिथि : 29/6/18

स्थान . शहडोल

(ए0के0 जोशी) 29/6/18

मुख्य वन संरक्षक

वन वृत्त शहडोल (म0प्र0)

कार्यालय वन वृत्त शहडोल-484001 (मध्यप्रदेश)

PHONE-245361 FAX-240189 E_MAIL- ccf.sdl@mp.gov.in

क्रमांक/माचि0/2018/ 716 शहडोल, दिनांक 21-01 2018

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)

विषय— **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत जिला उमरिया (म.प्र.) के अविद्युतीकरण ग्राम सांस से चिनकी के विद्युतीकरण हेतु 11 के.व्ही. विद्युत लाईन में प्रस्तावित वनभूमि कुल रकवा 1.098 हे. का व्यपवर्तन बावत्।**

संदर्भ— **आपका पत्र क्रमांक/माचि/2018/149 दिनांक 19.01.2018**

—000—

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र से ग्राम सांस से चिनकी की विद्युतीकरण हेतु 11 के.व्ही. विद्युत लाईन में प्रस्तावित वनभूमि कुल रकवा 1.098 हे. का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2. प्रस्तावित क्षेत्र का वनमण्डलाधिकारी उमरिया द्वारा दिनांक 11.01.2018 को स्थल निरीक्षण किया गया।

3. प्रस्ताव एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर निम्नानुसार पाई गई :—

(i). विद्युत लाईन निर्माण में कुल 438 विभिन्न प्रजाति के वृक्ष हैं।

(ii). शासन के निर्देशानुसार प्रति हेक्टेयर 50 वृक्ष काटे जाने के निर्देश है जबकि प्रस्तावित स्थल के 1.000 हेक्टेयर में 398 वृक्ष आते हैं, जो समानुपाती से अधिक हैं।

(iii). प्रस्तावित क्षेत्र में बाघ का रहवास स्थल है।

(iv). वनमण्डल उमरिया द्वारा एवं वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा की दृष्टि से अण्डर ग्राउन्ड विद्युत लाईन डाले जाने की अनुशंसा की गई है।

4. म.प्र. शासन वन विभाग/नोडल अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश का पालन करते हुये सशर्त सैद्धांतिक अनुमति जारी किया जाय।

संलग्न :- प्रस्ताव 02 प्रति।

(प्रशांत यादव)
मुख्य वनसंरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म०प्र०)

पृ.क्रमांक/माचि0/2018/ 717 शहडोल, दिनांक 21-01 2018

प्रतिलिपि—

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन अभियंता (डी.आर.सी.) म.प्र. पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म०प्र०)